न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट/सिविल जज(जू०डि०), घाटमपुर, कानपुर देहात

फौजदारी वाद सं० 889/2022

UPRN180017672022

सरकार बनाम निहाल

धारा 3/25 आर्म्स एक्ट
मु०अ०सं० 176/2022
थाना सजेती, कानपुर नगर

दिनांक – 05/01/2026

आदेश

प्रार्थना पत्र आज पेश हुआ। अभियुक्त न्यायालय उपस्थित आया।

अभियुक्त निहाल की ओर से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि अभियुक्त विगत तिथि को न्यायालय उपस्थित नहीं हो सका, जिस कारण मा० न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध गैर जमानतीय वारन्ट जारी कर दिया गया। अभियुक्त द्वारा गैर जमानतीय वारन्ट के आदेश को निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है।

सुना व पत्रावली का अवलोकन किया।

पत्रावली के अवलोकन से विदित हुआ कि पत्रावली वास्ते आरोप लम्बित है। अभियुक्त दिनांक 22/12/2025 को अनुपस्थित हैं, जिस कारण उसके विरुद्ध गैर जमानतीय वारन्ट जारी कर दिया गया था।

अभियुक्त को बीस हजार रुपये का निजी बन्ध पत्र प्रस्तुत करने पर अभियुक्त के विरुद्ध जारी गैर जमानतीय अधिपत्र का आदेश निरस्त किया जाता है।

(धर्मेन्द्र सिंह यादव)
न्यायिक मजिस्ट्रेट,
घाटमपुर, कानपुर देहात
यू०पी० 3562

Digitally signed by DHARMENDER SINGH YADAV
Date: 2026.01.05 16:40:08 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court